न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 15/2025 बउनवानी मनोज कुमार जैन **बनाम** तहसीलदार बौली
निवासीः–नेहा विला महावीर मार्ग बौंली

GCMS No-2025/72

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.3.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 27.11.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर'' *वाके ग्राम रवासा के गत ख0न0 19/1 मिन 8 रकबा 10 बीघा (खातेदार श्रीमती चांद देवी रूरल डवलपमेंट एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी बौंली, श्रीमति शर्मिला, प्रेमलता, प्रीति जैन,) के संदर्भ में नक्शा शुद्धि विवाद एवं गलत सीमाज्ञान ख0न0 50/813,50/803 दिनांक 28.6.2023 से संबंधित चल रही है के संबंध में बिन्दु संख्या 1(1–15), 2(1–14),3,4 की सूचना*'' तहसीलदार बौंली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकःप.11()()/आरटीआई/सूचना/2024/295 दिनांक 18.3.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2024 की अपील अपीलान्ट द्वारा पूर्व मे भी इस न्यायालय में पेश की जा चुकी है जो अपील संख्या 5/2025 पर दर्ज की जाकर दिनांक 27.2.2025 को निर्णित की जा चुकी है। उक्त निर्णय मे दिये गये निर्देशानुसार अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2024 पर अपीलान्ट द्वारा पूर्व मे न्यायालय हाजा में अपील पेश की जा चुकी है जो अपील संख्या 5/2025 पर दर्ज की जाकर दिनांक 27.2.2025 को निर्णय पारित कर तहसीलदार बौली को यह निर्देश दिये गये थे कि चाही गयी सूचना के संबंध में यदि ओर जानकारी की आवश्यकता हो तो अपीलान्ट से प्राप्त कर अपीलान्ट को 15 दिवस मे सूचना उपलब्ध करवायी जावे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार बौंली को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व अपील संख्या 5/2025 मे पारित निर्णय दिनांक 27.2.2025 की पालना की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस मे भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:10:01 IST
Reason: SelfAttested